85

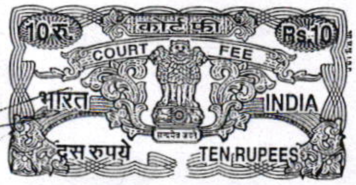

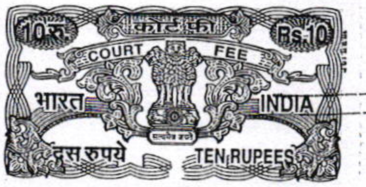

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (कैम्प भोपाल)

III/निगरानी/सीहोर/भू.रा/2018/0504 **रा.निगरानी क्रमांक ..../2018**

01. **श्रीमती कला बाई पत्नी श्री चिरोंजीलाल**
02. **चिरोंजीलाल** आत्मज श्री फूलचंद
आयु वयस्क, कृषक व निवासीगण –
ग्राम सुड़ानियां, तहसील बुदनी,
ज़िला सीहोर .... **निगरानीकर्ता/ आवेदक**

विरूद्ध

01. **यशवंत सिंह** आत्मज श्री शादीलाल,
आयु वयस्क, कृषक सुड़ानिया,
तहसील बुदनी, निवासी – ग्राम तामोट,
तहसील गौहरगंज, ज़िला रायसेन......... **गैरनिगरानीकर्तागण/ अनावेदकण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

महोदय जी,

न्यायालय नायब तहसीलदार के मामला क्रमांक 10/अ–12/2014–15 में कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहगंज के आदेश दिनांक 08.04.2015 के पालन में किये गये सीमांकन दिनांक 02.06.2015 से दुःखी होकर सीमांकन की जानकारी होने पर ज्ञान के दिनांक 29.12.2017 से समय में माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त

01. यह कि, आवेदक/निगरानीकर्ता क्र. 01 (श्रीमती कला बाई) के मेड़ पड़ोसी कृषक उत्तरदाता क्र. 01 द्वारा उसके नाम की ग्राम सुडानिया स्थित भूमि खसरा क्रमांक 10, 22/2, 142, 143/1, 143/2 कुल किता 05 कुल रकबा 5.278 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु 'विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.12.2014 को आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर नायब तहसीलदार, शाहगंज द्वारा टीप अंकित कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु आदेशित किया।

निरंतर ....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/सीहोर/भू.रा./2018/504

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	यह निगरानी नायव तहसीलदार, उप तहसील शाहगॅज, तहसील बुदनी जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 10 अ 12/14–15 में पारित आदेश दिनाक 29–6–2015 पर से म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र–1 ने मौजा सुडानिया की आराजी क्रमांक 10. 22/2, 142, 143/1, 143/2 के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण क्रमांक क्रमांक 10 अ 12/14–15 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की सूचना जारी कराई। हलका पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 2–6–2015 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया, एंव सीमांकन प्रतिवेदन नायव तहसीलदार को प्रस्तुत कर दिया। नायव तहसीलदार, उप तहसील शाहगॅज, तहसील बुदनी जिला सीहोर ने प्रकरण क्रमांक 10 अ 12/14–15 में पारित आदेश दिनाक 29–6–2015 सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी राजस्व मण्डल में दिनांक 9–1–2018 को प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी ने आवेदक को सूचना दिये बिना अनावदेक से मिलकर गलत तरीके से सीमांकन किया है एंव मौके की स्थिति के मान से सीमांकन नहीं किया है। अनावेदक की भूमि के किये गये	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी / सीहोर / भू.रा. / 2018 / 504

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने का वह अधिकारी हैं। यदि आवेदक स्वयं की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानता हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनांक 29–6–2015 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	